

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

F 14 () /2015/FCA/PCCF/ CCFEDS-II Dated 5-10-2018

EXECUTIVE ENGINEER PHED RAJGARH, ALWAR द्वारा RURAL WATER SUPPLY SCHEME VILLAGE SONKHARI कार्य हेतु अलवर जिले की कठूमर तहसील के ग्राम सोनखारी में 0.05 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए online पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/WATER/15016/2015 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक जयपुर द्वारा प्रस्ताव में पार्ट I, II, III भिजवाया गया है। जिसका परीक्षण किये जाने पर निम्न कमियां पाई गई हैं जिनकी टिप्पणी निम्नानुसार है :-

A- Compliance of EDS Dated 14.3.2018 is as follows:

1. बिन्दु संख्या 1 की पालना नहीं। यूजर ऐजेन्सी द्वारा पार्ट I के बिन्दु संख्या B-1 में उल्लेखित दो प्रस्ताव (18402, 13429) में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हुए 2 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुका है किन्तु आज दिनांक तक विधिवत स्वीकृति जारी नहीं हुई है कारण स्पष्ट किया जाना है।
2. बिन्दु संख्या 2 की पालना नहीं। प्रस्ताव में संलग्न एरिया केलकुलेशन शीट में कंसो 4 पर अंकित प्रविष्टि का गुणन सही नहीं है जिसे संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 3 की पालना नहीं। उप वन संरक्षक द्वारा छत्र घनत्व 0.1 अंकित किया गया है जबकि प्रस्तावित वन भूमि में कोई वृक्ष आना अवगत नहीं है। वर्तमान वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाना प्रस्तावित है।
4. बिन्दु संख्या 4 की पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा अपने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन होना पाया गया है जबकि प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दु संख्या 11 में उलंघन नहीं होने की सूचना भरी गई है। प्रस्ताव में वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए स्पष्ट टिप्पणी दी जानी प्रस्तावित है। इसमें जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम मय पद एवं पते, उलंघन की अवधि एवं कितनी मात्रा में उलंघन किया गया है। उसको उल्लेखित करती हुई तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
5. बिन्दु संख्या 5 की पालना नहीं। उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण स्थल की KML file में पॉलीगन का क्षेत्र पार्ट II में अंकित क्षेत्र के अनुरूप नहीं है एवं DGPS map मानक स्तर का नहीं है। GT Sheet में कौनसी जीटीशीट प्रयोग में ली गई है अंकित नहीं है।
6. बिन्दु संख्या 6 की पालना नहीं। उप वन संरक्षक द्वारा एनपीवी की गणना सही नहीं की गई है।
7. प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजों को उप वन संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षर नहीं किया गया है।

अतः मुख्य वन संरक्षक जयपुर को उक्तानुसार पायी गयी कमियों /टिप्पणियों की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः ऑनलाईन भिजवाने हेतु निर्देश दिये जाते हैं।

D.K. Gupta
(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR